संख्या— /II(02)—2019—03(17)/2012 टी0सी0

प्रेषक,

डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई अनुभाग —02 **देहरादून : दिनांक 01 जुलाई, 2019**

विषयः— वित्तीय वर्ष 2019—20 में राज्य सैक्टर जल संवर्द्धन/संरक्षण मद के अन्तर्गत निर्माणाधीन योजनाओं की वित्तीय स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युत विषयक आपके पत्र संख्या 1523/प्र0अ0/बजट/बी—1 (सामान्य)/कैम्प दिनांक 24.06.2019 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जल संवर्द्धन एवं संरक्षण मद के निर्माणाधीन योजनाओं पर पूर्व अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं कार्य की भौतिक प्रगति के दृष्टिगत योजनाओं के अवशेष कार्यों हेतु रू0 93.82 लाख (रू0 तिरानवे लाख बयासी हजार मात्र) की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2019—20 में व्यय हेतु निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

धनराशि लाख रू0 में

क्र. स.	योजना का नाम	स्वीकृति का वर्ष	योजना की लागत	मार्च, 2019 तक अवमुक्त/व्यय	अवशेष धनराशि	वित्तीय वर्ष 2019 —20 हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि
01	जनपद अल्मोड़ा के वि0ख0 भिकियासैंण में सौगढ़ गधेरे में वियर का निर्माण कार्य।	2015—16	206.88	127.08	79.80	39.90
02	जनपद अल्मोड़ा के ऐरी गधेरे में जलाशय निर्माण की योजना	2015—16	86.83	10.00	76.83	38.41
03	जनपद अल्मोड़ा के वि0ख0 लमगड़ा में डोल आश्रम के पास घटगाड़ गधेरे में झील निर्माण योजना।	2015—16	77.57	0.00	77.57	15.51
					कुल योगः—	93.82

(i) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

क्रमशः.............02

(ii) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(iii) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

(iv) आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(v) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV–219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

(vi) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपभोग दि0–31.03.2020 तक करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा कृत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। अवमुक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(vii) स्वीकृत लागत के सापेक्ष कार्य के क्रियान्वयन में यदि कम धनराशि व्यय होती है तो शेष धनराशि समर्पित कर दी जायेगी।

(viii) उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 तथा मितव्ययता के सम्बंध में समय–समय पर निर्गत किये गये आदेशों एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(ix) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–254/3(150)–2017/XXVII (1)/2019, दिनांक 29.03.2019 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2 इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 में राज्य सैक्टर जल संवर्द्धन एवं संरक्षण मद में अनुदान संख्या–20 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 4701–मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत व्यय–80–सामान्य व्यय–051–निर्माण–02–जल संवर्द्धन एवं जल संरक्षण के जलाशय एवं पेयजल आपूर्ति आदि का निर्माण (4701–80–800–03 से स्थानान्तरित)–24–वृहत निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

3 यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–254/3(150)–2017/XXVII (1)/2019, दिनांक 29.03.2019 में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुरूप निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया,

(डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।

संख्या—713 (1)/II(02)—2019—03(17)/2012 टी0सी0,तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस सी—1/105, इन्दिरानगर, दे0दून ।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
3. निदेशक, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
4. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी देहरादून।
6. वित्त अनुभाग—2, उत्तराखण्ड शासन।
7. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. बजट निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
10. वित्त नियंत्रक, सिंचाई विभाग, देहरादून।
11. सम्बन्धित सिंचाई खण्ड द्वारा प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई, उत्तराखण्ड।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रणजीत सिंह)
उप सचिव